न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 36 / 2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
जुजारसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।		1. हरीसिंह पुत्र हिन्दुसिंह के कायम मुकाम 1/1 समदकंवर 1/2 पवनसिंह 1/3 छोटुसिंह 1/4 महेन्द्रसिंह पिसरान हरीसिंह 2 चुतरसिंह पुत्र हिन्दुसिंह के कायम मुकाम 2/1 चन्द्रकंवर पत्नी चुतरसिंह 2/2 रायपालसिंह पुत्र चुतरसिंह 3 मूलसिंह पुत्र हिन्दुसिंह के कायम मुकाम 3/1 जसवन्तसिंह 3/2 विक्रमसिंह पिसरान मूलसिंह 3/3 समदकंवर पत्नी मूलसिंह 4 उतमसिंह पुत्र हिन्दुसिंह 5 जावतसिंह पुत्र जीवराजसिंह के कायम मुकाम 5/1 अगरकंवर पत्नी जावतसिंह 5/2 गुमानसिंह पुत्र जावतसिह के कायम मुकाम 5/2/1 दरिया कंवर पत्नी गुमानसिंह 5/2/2 रामसिंह पुत्र गुमानसिंह 5/2/3 हाकमसिंह पिसरान गुमानसिंह 5/3 नारायणसिंह पुत्र जावतसिंह 6 तेजमालसिंह पुत्र जीवराजसिंह के कायमु मुकाम 6/1 बालुकंवर पत्नी तेजमालसिंह 6/2 गणपतसिंह 6/3 मदनसिंह 6/4 ओनाड़सिंह पिसरान तेजमालसिंह 7 करणसिंह पुत्र गोकलसिंह के कायम मुकाम 7/1 मुकनसिंह पुत्र मोहनसिंह 7/2 छोटूसिंह 7/3 गिरधरसिंह पिसरान नरपतसिंह 7/4 चन्द्रकंवर पत्नी नरपतसिंह 8 हाकमसिंह 9 सुमेरसिंह पिसरान नाथुसिंह 10 बाईराज पत्नी नाथुसिंह 11 बहादूरसिंह 12 शम्भूसिंह पिसरान वीरसिंह 13 केसरकंवर पत्नी वीरसिंह 14 गुलाबसिंह पिसरान जोगराजसिंह 15 तनेराजसिंह पुत्र भुरसिंह के कायम मुकाम 15/1 मोहनसिंह 15/2 फुलसिंह 15/3 सुगनसिंह 15/4 पवनसिंह 15/5 स्वरूपसिंह पिसरान तनेराजसिंह 16 हरीसिंह पुत्र भुरसिंह जाति राजपूत निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर 17 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1. श्री पवन सिंहल, वकील प्रार्थी।
2. श्री दलपत सिंह सिसोदिया, वकील अप्रार्थी संख्या 11 से 16।

आदेश

दिनांक 16/08/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:21:10 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा [illegible] के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की पैतृक संयुक्त [illegible] की भूमि मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर [illegible] खसरा संख्या 1079 रकबा 07.02 बीघा भूमि आई हुई है, जो वक्त सेटल[illegible] प्रार्थी के पूर्वज जीवरा[illegible] पुत्र तगसिंह, करणसिंह उर्फ कानसिंह पुत्र गोकलसिंह, सबलसिंह पुत्र मोतीसिंह की संयुक्त खातेदारी में दर्ज हुई। प्रार्थी के पूर्वज जीवराजसिंह का 1/3 हिस्सा खातेदारी का दर्ज किया उनके पश्चात उक्त 1/3 हिस्सा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

(?)तेदारी में चला आ रहा है जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 06 का कब्जा काश्त है। खसरा संख्या 1079 रकबा 07.02 बीघा भूमि में राजस्व अधिकारियों की त्रुटी से भूलवंश प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 01 से 06 का 1/3 हिस्सा इन्द्राज होने से छुट गया व आगे भी चौसाला जमाबन्दी में जीवराजसिंह के नाम 1/3 हिस्से दर्ज नही हुआ। वादग्रस्त आराजी में जीवराजसिंह का नाम त्रुटीवंश हटा है, जिसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का नामान्तकरण पारित नही किया गया है, जो त्रुटी भूलवंश राजस्व अधिकारियों से हुई है जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। उक्त त्रुटी की जानकारी होने पर प्रार्थी ने यह आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1079 रकबा 07.02 बीघा भूमि में राजस्व रेकर्ड में जीवराजसिंह पुत्र तगसिंह का नाम त्रुटीवंश (भूलवंश) हट जाने से की दुरूस्ती कर वर्तमान में जीवराजसिंह पुत्र तगसिंह के वारिशान का नाम राजस्व रेकर्ड में 1/3 हिस्से में अमल दरामद करवाने का आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 11 से 16 उपस्थित।

वकील अप्रार्थी संख्या 11 से 16 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया। अप्रार्थी संख्या 07 से 16 का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है अन्य किसी पक्षकार का मौके पर कब्जा काश्त नही है। प्रार्थी 70 वर्ष बाद हुई त्रुटी की जानकारी किस प्रकार हुई का वर्णन किसी भी पद में नही किया है। वादग्रस्त भूमि की सुनवाई का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही होकर माननीय सिविल न्यायालय का है। मौके पर कब्जा काश्त नही होने से प्रार्थी माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नही कर सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन खारिज योग्य है। तहसीलदार बाडमेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2024/1691 दिनांक 27.06.2024 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि ग्राम बाडमेर आगोर के खसरा संख्या 1079 में जीराजसिंह पुत्र तगसिंह का नाम हटाने के सम्बन्ध में पुराने रेकर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि भू प्रबन्ध के समय मिसल बन्दोबस्त में जीराजसिंह पुत्र तगसिंह का नाम 1/3 हिस्सा में दर्ज जमाबन्दी संवत् 2013 से 2018 के खाता संख्या 77 में जीवराजसिंह पुत्र तगसिंह का नाम 1/3 में दर्ज है जबकि आगामी जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 की तहरीर करते समय भूलवंश जीवराजसिंह पुत्र तगसिंह का नाम छूट गया था, तत्पश्चात लगातार जीवराजसिंह पुत्र तगसिंह का नही है। मौके पर खसरा संख्या 1079 में घर बने हुए है जिसमें जीवराजसिंह पुत्र तगसिंह के वारिशान ओनाड़सिंह वगैराह की ढाणियाँ बनी हुई है। अतः प्रार्थी का नाम जमाबन्दी तहरीर करते समय भूलवंश छूट गया था जो जोड़ा जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:21:10 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076, नामान्तकरण संख्या 150, 436,

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

तौनी बन्दोबस्त 2012 से 2031, जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056, 2045 से 2058 एवं 2061 से 2064 व 2065 से 2068 एवं तहसीदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि भू प्रबन्ध के समय मिसल बन्दोबस्त में जीराजसिंह पुत्र तगसिंह का नाम 1/3 हिस्सा में दर्ज जमाबन्दी संवत् 2013 से 2018 के खाता संख्या 77 में जीवराजसिंह पुत्र तगसिंह का नाम 1/3 में दर्ज है जबकि आगामी जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 की तहरीर करते समय भूलवंश जीवराजसिंह पुत्र तगसिंह का नाम छूट गया था, तत्पश्चात लगातार जीवराजसिंह पुत्र तगसिंह का नही है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। उपर्युक्त विवेचनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1079 रकबा 07.02 बीघा भूमि में भू प्रबन्ध के समय मिसल बन्दोबस्त में जीराजसिंह पुत्र तगसिंह का नाम 1/3 हिस्सा में दर्ज जमाबन्दी संवत् 2013 से 2018 के खाता संख्या 77 में जीवराजसिंह पुत्र तगसिंह का नाम 1/3 में दर्ज है जबकि आगामी जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 की तहरीर करते समय भूलवंश जीवराजसिंह पुत्र तगसिंह का नाम छूट गया जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किया जाना जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1079 रकबा 07.02 बीघा भूमि में जीवराजसिंह पुत्र तगसिंह के वारिशान की जांच करते हुए 1/3 हिस्सा खातेदारी में (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 16/08/24 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:21:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर